

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

सुदमा नम्बर 236/2020

दायर दिनांक-26.11.2020

1. नत्थूराम पुत्र गोरूराम जाति माली निवासी उदयपुरवाटी हाल आबाद ग्राम गिरधरपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

बनाम

1. भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक वर्तमान नाम बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबंधक।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री किशोर कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ
व दुरुस्ती रिकॉर्ड

—:: निर्णय ::—

दिनांक- 18.11.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 0.5000 है0, खसरा नम्बर 675 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.0100 है0 खसरा नम्बर 673 रकबा 1.2400 है0 भूमि में नत्थूराम पुत्र बोदूराम के स्थान पर वादी नत्थूराम पुत्र गोरूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी ने शहादत वादी हेतु नत्थूराम पुत्र गोरूराम का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी द्वारा अपने वाद-पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत 2075-78, नकल फोटो कॉपी आधार कार्ड, नकल फोटो कॉपी जन आधार कार्ड, नकल फोटोकॉपी राशन कार्ड तथा नकल फोटोकॉपी पहचान पत्र पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी नत्थूराम पुत्र गोरूराम का नाम नत्थूराम पुत्र गोरूराम सहवन से दर्ज किया गया है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 0.5000 है0, खसरा नम्बर 675 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.0100 है0 खसरा नम्बर 673 रकबा 1.2400 है0 भूमि में नत्थूराम पुत्र बोदूराम के स्थान पर वादी नत्थूराम पुत्र गोरूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़



(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं०:- 236/2020

(नत्थूराम बनाम तहसीलदार आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.11.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी वीकार किया जाता है। वाके राजस्व गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 0.5000 है०, खसरा नम्बर 675 रकबा 0.3200 है०, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.0100 है० खसरा नम्बर 673 रकबा 1.2400 है० भूमि मे नत्थूराम पुत्र बोदूराम के स्थान पर वादी नत्थूराम पुत्र गोरूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.11.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00